नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता के लिये जुर्माना

चर्चा में क्यों?

नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में, उत्तर प्रदेश सरकार ने **नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति** देने वाले माता-पिता या वाहन मालिकों पर तीन वर्ष की कैद और **25,000 रुपए जुर्माने के प्रावधान** को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

मुख्य बिंदु:

- **परिवहन विभाग के सहयोग से** सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए **जागरूकता अभियान** शुरू किया गया है।
- मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 **की धारा 199 (ए)** के तहत, यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किये गए मोटर वाहन-संबंधी अपराधों में, केवल उनके **अभिभावक या वाहन मालिक** को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
  - निर्धारित सज़ा में **तीन वर्ष की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना** शामिल है।
- लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के अनुसार **सड़क दुर्घटना में होने वाली 40% मौतों में नाबालिग शामिल** हैं।
- अधिकारियों ने **18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा ड्राइविंग पर प्रतिबंध** लगाने वाले कानून का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया और सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने की बात की।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019

- संशोधन यातायात नियमों के **उल्लंघन पर सख्त दंड लगाने, लाइसेंसिंग और इसके प्रशासन** को सुव्यवस्थित करने तथा **देश में सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति को** दूर करने का प्रयास करता है।
- यह एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि का प्रावधान करता है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है।
- यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले **एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान** करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/penalties-for-parents-alowing-minors-to-drive